भाग–III

हरियाणा सरकार

खेल विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 अगस्त, 2026

संख्या का०आ० 42/ह०अ० 8/2024/धा0 5/2026.— हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2024 (2024 का 8) की धारा 5 की उप–धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से क्षेत्रों में क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद् स्थापित करते हैं, अर्थात्:–

1. क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, अंबाला (अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, करनाल, कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों के लिए)।
2. क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, रोहतक (रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर और जींद जिलों के लिए)।
3. क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, हिसार (हिसार, हांसी, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और चरखी दादरी जिलों के लिए)।
4. क्षेत्रीय खेल पंजीकरण परिषद्, गुरुग्राम (गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नूहँ, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़ जिलों के लिए)।

विजय सिंह दहिया,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
खेल विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SPORTS DEPARTMENT

Notification

The 19th August, 2026

No. S.O. 42/H.A. 8/2024/S. 5/2026.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 5 of the Haryana State Sports Associations (Registration and Regulation) Act, 2024 (8 of 2024), the Governor of Haryana hereby establishes the following Regional Sports Registration Councils with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1. Regional Sports Registration Council, Ambala (for the Districts of Ambala, Panchkula, Yamuna Nagar, Karnal, Kaithal and Kurukshetra).
2. Regional Sports Registration Council, Rohtak (for the Districts of Rohtak, Sonipat, Panipat, Jhajjar and Jind).
3. Regional Sports Registration Council, Hisar (for the Districts of Hisar, Hansi, Fatehabad, Sirsa, Bhiwani and Charkhi Dadri).
4. Regional Sports Registration Council, Gurugram (for the Districts of Gurugram, Rewari, Palwal, Nuh, Faridabad and Mahendergarh).

VIJAY SINGH DAHIYA,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Sports Department.

12792—L.R.—H.G.P., Pkl.